जितेन्द्र आजाद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार और अन्य (सुधीर मित्तल, जे0)

दया चौधरी और सुधीर मित्तल जे0जे0 के समक्ष

जितेन्द्र आजाद और अन्य ..... याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ..... प्रतिवादी

केस नं0:–**CWP NO. 17799/2018**

July 02, 2019

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973–एस0 208– तहबाजारी– सार्वजनिक स्थान के उपयोग के लिए सार्वनजिक प्राधिकरण द्वारा केवल एक अस्थायी लाइसैन्स (किसी भी समय कैन्सिल/रद्द किया जा सकता है) हरियाणा सरकार में दिनांक 08.01.2015 को समाप्त हो गया है, तहबाजारी का भुगतान कोई भी सम्बन्धित स्थान पर व्यवसाय करने या निर्माण करने का अपरिहार्य अधिकार नही करता हैं --------याचिका खारिज

यह माना गया कि, तहबाजारी की स्वीकृति वर्तमान याचिका कर्ताओं को सम्बन्धित स्थान से व्यापार करने या उस पर अस्थायी / स्थायी निर्माण करने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं देती है । तहबाजारी केवल सार्वजनिक प्राधिकारियों अवारा द्वारा एक अस्थायी लाइसैन्स प्रदान करना है जो नागरिकों को कुछ खुले सार्वजनिक स्थानों का अस्थायी रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है । ऐसी छुट / रियायत कभी भी रद्द की जा सकती है । याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि दिनांक 08.01.2015 से हरियाणा राज्य में तहबाजारी की व्यवस्था समाप्त हो गई है । इसके इलावा, अधिनियम की धारा–208 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एक प्रावधान है जिसके तहत नगरपालिका प्राधिकरण को अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देने की शक्ति दी गई थी । ऐसा निर्माण वह है जो पूर्व भवन योजना की मंजूरी के बिना या भवन उपनियमों के उल्लंघन में किया जाता है । यह आवश्यक रूप से यह मानता है कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है वह नागरिकों की है और यह लाइसैन्स या अतिक्रमण का मामला नहीं है ।

(पैरा नं 04)

अधिवक्ता :– वकील विवेक कुमार ठाकुर

(याचिका कर्ताओं के ओर से)

प्रीतम सैनी, ए0ए0जी0, हरियाणा

जितेन्द्र आजाद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार और अन्य (सुधीर मित्तल, जे0)

(सुधीर मित्तल, जे0)

1. याचिकाकर्ता (क्र0सं0 8) कथित तौर पर बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए उनकी दुकानों/खोखों को ध्वस्त किए जाने से व्यथित है ।

2. यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता लगभग 50 साल पहले बनाए गए खोखों में अपनी दुकानें चला रहे है । जो बाजार इस प्रकार स्थापित किया गया था उसे प्रतिवादी नगर परिषद की मंजूरी प्राप्त थी क्योंकि दुकानदार तहबाजारी का भुगतान करते थे । कुछ तहबाजारी रसीदों को रिकार्ड में रखा गया है । प्रतिवादी–नगर परिषद के अधिकारी एक दिन मौके पर आए और बिना किसी पूर्व सूचना के खोखे को ध्वस्त कर दिया । यह तर्क देने के लिए कि कारण बताओ नोटिस जारी करना एक कानूनी आवश्यकता थी, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (बाद में अधिनियम के रूप में सन्दर्भित) की धारा 208 पर भरोसा किया गया है, तदनुसार, उत्तरदाताओं को अनुमति देने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है । याचिाकाकर्ताओं को खोखा दोबारा लगाने के बाद अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनुमति दी जाए और दोषी अधिकारियों को हर्जाना देने का निर्देश दिया जाए । सन्तोष बनाम पंजाब राज्य नगर परिषद् कैलारस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले से भी समर्थन प्राप्त हुआ है ।

3. प्रतिवादी–नगर परिषद् की ओर से एक विस्तृत लिखित ब्यान दायर किया गया है । इसमें यह स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि तहबाजारी को दी गई थी, हालांकि खोखा बनाने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता अनाधिकृत निर्माण करने के दोषी थे, निदेशक द्वारा जारी निर्देश दिनांक 08.01.2015 के तहत तहबाजारी की व्यवस्था समाप्त हो गई । शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा और इस प्रकार, याचिकर्ता खोखा खोले बिना भी विवादित भूमि से व्यवसाय चलाने का दावा नहीं कर सकते । इस प्रकार, अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए एक सामान्य निर्देश जारी किया गया और याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद विध्वंस किया गया । उपायुक्त, नारनौल ने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 05.06.2018 को उनके कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था । उपमण्डल मजिस्ट्रेट, नारनौल, मीडिया के सदस्यों, सम्बन्धित वार्डो के प्रतिनिधियों और क्षैत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई । याचिकाकर्ताओं को खोखा हटाने के निर्देश जारी किए गए । इस बाद दिंनाक 18.06.2018 को दौबारा बैठक बुलाई गई और अनाधिकृत कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए । याचिकाकर्ता अपना अतिक्रमण हटाने पर सहमत हुए थे लेकिन उन्होनें भौतिक रूप से ऐसा नहीं किया । लाउडस्पीकर के मायध्म से घोषणा भी की गई और उसके बाद ही दिनांक 05.07.2018 को विध्वंस किया गया । अधिनियम की धारा–208 की प्रयोज्यता को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह केवल निजी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण पर लागू होती है ।

1999(4) RCR (Civil) 129

4. तहबाजारी की स्वीकृति वर्तमान याचिकाकर्ताओं को सम्बन्धित स्थान से व्यापार करने या उस पर अस्थायी / स्थायी निर्माण करने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं देती है । तहबाजारी केवल सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा एक अस्थायी लाइसैन्स का अनुदान है जो नागरिकों को उपयोग करने की अनुमति देता है । कुछ खुले सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से ऐसी रियायत कभी भी रद्द की जा सकती है । याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य से इनकार नही किया है कि दिनांक 08.01.2015 से हरियाणा राज्य में तहबाजारी की व्यवस्था समाप्त हो गई है । इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि लिखित ब्यान में उल्लिखित तारीखों पर सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा बैठकें बुलाई गई थी और लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएं भी की गई थी । इस प्रकार, यह दावा नहीं किया जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया गया है । इसके अलावा, अधिनियम की धारा–208 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह प्रावधान है जिसके तहत नगरपालिका प्राधिकरण को अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश देने की शक्ति दी गई थी । ऐसा निर्माण वह है जो पूर्व भवन योजना की मन्जूरी के बिना या भवन उपनियमों के उल्लंघन में किया जाता है । यह अनिवार्य रूप से यह मानता है कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है वह नागरिकों की है और यह लाइसैन्स या अतिक्रमण का मामला नहीं है । इस प्रकार, उक्त प्रावधान याचिकाकर्ताओं के मामले पर लागू नहीं हो सकता है । इसके इलावा, उत्तरदाताओं के जवाब से, यह स्पष्ट है कि विध्वंस आवश्यक था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी । गन्दे पानी के निस्तारण के लिए नए नाले के निर्माण के लिए भी जगह की आवश्यकता थी । इस प्रकार, जनहित के कारण खोखों को हटाना आवश्यक हो गया ।

5. सन्तोष (ऊपरलिखित) में निर्णय तथ्यों पर भिन्न है । उक्त मामले में, याचिकाकर्ता उस भूमि का मालिक था जिसमें दुकानों का निर्माण किया गया था । नगर परिषद, कैलारस (ऊपरलिखित) का मामला भी अलग है । उक्त मामले में, दुकानों को नगर परिषद् द्वारा ही पट्टे पर दिया गया था और उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और विवाद एक स्थानीय निकाय और राज्य के बीच था ।

6. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका में कोई योग्यता नही है और इसे खारिज कर दिया गया है ।

पायल मेहता

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

<u>जितेन्द्र आजाद और अन्य बनाम हरियाणा सरकार और अन्य (सुधीर मित्तल, जे0)</u>

सतीस कुमार

अनुवादक